



SADDA ADDA RESTAURANT



Head Office:- Sundar Vihar Saidpur Jagir, Jankipuram Ext. Lucknow

Contact :- 9838392594, 9838072594, 7800157575

Email:- rohitdube0474cbr@gmail.com

Website:- www.saddaaddarestaurant.com

- इस अनुबंध में फ्रेंचाइजर अर्थात **Aadda Adda Restaurant** प्रथम पक्ष के तौर पर नामित तथा फ्रेंचाइजी द्वितीय पक्ष के तौर पर इस अनुबंध में नामित होगा ।
- फ्रेंचाइजर अर्थात अनुमति देने वाला ।
- फ्रेंचाइजी अर्थात अनुमति प्राप्त कर्ता ।
- फ्रेंचाइजर शब्द जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ उसका अर्थ अनुमति प्रदान करने वाले से तथा फ्रेंचाइजी शब्द जहाँ भी प्रयोग होगा उसका अर्थ अनुमति प्राप्त करने वाले से होगा ।
- फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर नियन्त्रित बिंदुओं के द्वारा अनुमति प्रदान कर रहा है तथा बिंदुओं का अग्रसारित कर रहा है ।
- यह की फ्रेंचाइजी बिना अनुमति किसी अन्य स्थान पर फ्रेंचाइजर का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा तथा ऐसा करने पर उसकी फ्रेंचाइजी स्वतं समाप्त मानी जाएगी ।
- यह की फ्रेंचाइजी बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के बदलाव माननीय रूपए या बिक्री के उत्पादों में अथवा सजावट आदमी बदलाव नहीं करेगा ।
- फ्रेंचाइजी के द्वारा अनुबंध होने पर फ्रेंचाइजी किसी भी प्रकार से लखनऊ शहर के परिसीमन में फ्रेंचाइजर के ब्रांड नाम का उपयोग या दूसरा अन्य ब्रांड नहीं खोलेगा और यदि वह ऐसा करता है तो उसको पहले अनुमति लेनी चाहिए ।
- नियमों के वह परिवर्तन जो फ्रेंचाइजर को प्रभावित करते हैं , फ्रेंचाइजर की बिना अनुमति के परिवर्तित नहीं किए जाएंगे ।
- किसी भी प्रकार के ऐसे परिवर्तन जो फ्रेंचाइजी को प्रभावित करते हो वह सारे मामले फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के मध्य लिखित समझौतों के द्वारा ही परिवर्तित किए जाएंगे ।
- फ्रेंचाइजर किसी भी प्रकार का कोई भी लेनदेन पैसे का या वस्तु का फ्रेंचाइजी से नहीं करेगा केवल फ्रेंचाइजी संचालित होने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होगी उनकी एक सूची प्रदान करेगा और फ्रेंचाइजी का दायित्व होगा कि वह उसको पूर्ण करें ।
- फ्रेंचाइजी **FOFO** मॉडल पर कार्यरत रहेगी (फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी ऑन) ।
- फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड और फ्रेंचाइजी ऑन से तात्पर्य है कि जो भी माल या अन्य वस्तुएं खरीद कर लाई जाएंगी उन सब की मालकियत फ्रेंचाइजी की होगी ।
- फ्रेंचाइजर के द्वारा फ्रेंचाइजी को हर प्रकार की वस्तुओं में जैसे सजावट खाना बनाने वाली वस्तुएं सोफा या अन्य प्रचार सामग्री को लेने में सहायता करेगा या संचालित करेगा जिसके लिए वह कोई भी शुल्क फ्रेंचाइजी से नहीं लेगा ।
- फ्रेंचाइजर के द्वारा फ्रेंचाइजी संचालित करने के नियम व शर्तें पूर्णता सुरक्षित रखे जाएंगे जिसके फ्रेंचाइजी के द्वारा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा तथा नियम व शर्तों का एक मैन्युअल प्रदान किया जाएगा ।
- फ्रेंचाइजर के द्वारा फ्रेंचाइजी को वेबसाइट और आपका सपोर्ट प्रदान किया जाएगा जिसके लिए प्रथम वर्ष में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा द्वितीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष 49 सौ रुपए प्रतिवर्ष लिया जाएगा ।
- समय—समय पर फ्रेंचाइजी के ऑडिट के द्वारा फ्रेंचाइजर के द्वारा करवाई जाएगी जिसके मुख्यता सफाई गुणवत्ता तथा नियम व शर्तों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा फ्रेंचाइजी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह सफाई गुणवत्ता व अन्य सब प्रकार के नियम व शर्तों की पूर्ण जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें ।
- फ्रेंचाइजर शुरुआती तौर पर कोई भी रॉयलटी फीस क्या परसेटेज नहीं लेगा तथा 6 माह के बाद संपूर्ण बिक्री का 5% या बचत का दस प्रतिशत 10% फ्रेंचाइजी से लेगा ।
- फ्रेंचाइजर के द्वारा समय—समय पर ऑडिट के द्वारा एक औसत बिक्री निकालकर प्रत्येक माह का बिक्री या शुद्ध लाभ निकाला जाएगा जिससे लाभांश जोकि परिषद के तौर पर है लिया जाएगा ।
- प्रतिशतता को इस बाबत बदला भी जा सकता है की फ्रेंचाइजी व फ्रेंचाइजर के मध्य एक लिखित समझौत पर प्रत्येक माह एक निश्चित धनराशि फ्रेंचाइजी के द्वारा फ्रेंचाइजी को दी जाएगी जो दोनों के मध्य एक अनुबंध होगा ।
- फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को किसी भी प्रकार का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई भी समय नहीं दे रहा है क्योंकि बिक्री जगत और भौगोलिक परिस्थितियों पर तथा फ्रेंचाइजी के द्वारा दी गई सर्विसेज पर यह निर्भर करेगा ।
- फ्रेंचाइजी की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फ्रेंचाइजर यथासंभव अपने मैन्यूअर में परिवर्तन कर फ्रेंचाइजी को प्रदान करेगा करने का प्रावधान करेगा ।
- विज्ञापन तथा अन्य खर्च जैसे फूड लाइसेंस पेस्ट कंट्रोल वाटर टेस्ट फायर सेफ्टी तथा अन्य खर्च फ्रेंचाइजी के द्वारा वह किए जाएंगे जोकि फ्रेंचाइजर के द्वारा निर्देशित होंगे ।
- नाम तथा मैन्यू में बदलाव या किसी प्रोडक्ट को हटाने का जोड़ने पर फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर से लिखित अनुमति लेनी होगी ।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह सिर्फ लखनऊ न्याय क्षेत्र के अधिकरण में बाद लाया जा सकेगा ।